



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1940 (श0)

(सं0 पटना 154) पटना, वृहस्पतिवार, 31 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 26, दिनांक 31 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 1082 दिनांक 16 नवम्बर, 2017, द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं० एस.ओ. 286 दिनांक 16 नवम्बर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, “संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट “विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक में” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 402)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 26, दिनांक 31 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 402)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st January 2019

S.O. 26, Dated 31st January 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Commercial Taxes Department notification No.S.O- 286, dated the 16th November, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1082, dated the 16th November, 2017, namely: -

In the said notification, in the proviso, for the words, brackets, letters and figures “sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir”, words, brackets and figures “the first proviso to sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to the said section” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 402)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 154-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>